रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 1, 1982/आश्विन 9, 1904
No. 175] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 1982/ASVINA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 1-पी०आर०-एन०पी०/82

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1982

फाइल संख्या 33/52/82-पी०आर०-एन०पी०/जे०एस० (बी)--अखबारी कागज नियंत्रण आदेश 1962 के खण्ड 3 के उपखण्ड (5) के साथ पठित आयात और निर्यात नीति के परिशिष्ट 9 के अनुच्छेद 6 की शर्तों के अनुसार भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल, 1982—मार्च, 1983 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति, जैसे इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में है, एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

2. आयातित अखबारी कागज की सभी किस्मों की कीमत उपरोक्त लाइसेंसिंग वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अलग से निर्धारित होगी और भारत के राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली के द्वारा उसकी घोषणा होगी।

जे०के० भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

वर्ष 1982-83 के लिए अखबारी कागज की आबंटन नीति

1 प्रयोज्यता

इस नीति का संबंध अखबारी कागज के आबंटन से है जिस पर अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 लागू होता है।

2 परिभाषा .

इस नीति में तथा संलग्न अनुदेशों में 'समाचारपत्र' का अर्थ होगा दैनिक समाचारपत्र अथवा कोई भी अन्य आवधिक।

3 पात्रता :

3.1 प्रत्येक समाचारपत्र, जो प्रकाशन की नियमितता का निर्धारित प्रतिशत पूरा करता है, जैसा कि इस नीति के परिशिष्ट के अनुच्छेद-1 में उल्लिखित है, अखबारी कागज के आबंटन के लिए पात्र है।

3.2 भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा निम्नलिखित के लिए भी अखबारी कागज का आबंटन प्राधिकृत किया जा सकता है।

(1) समाचार एजेंसियों द्वारा टेलिप्रिन्टर पर समाचार संप्रेषित करना;

(2) समाचारपत्रों द्वारा मुद्रण परीक्षण;

(3) शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए न्यून मूल्य की पुस्तकों का मुद्रण; और

(4) महाविद्यालय और विद्यालय की पत्रिकाओं का मुद्रण।

3.3 निम्नलिखित प्रकाशन की श्रेणियां अखबारी कागज के आबंटन की पात्र नहीं होंगी:—

(1) वस्तुओं अथवा सेवाओं की बिक्री को मुख्यरूप से प्रोत्साहन देने हेतु प्रकाशित जर्नल;

(2) उद्यमों/फर्मों/औद्योगिक संस्थानों द्वारा निकाले गये गृह पत्र/पत्रिकाएं,

(3) कीमत सूचियां, सूचीपत्र तथा लाटरी समाचार;

(4) रेसिंग गाइड;

(5) सैक्स मेगजिने।

4. हकदारी :

4.1 विद्यमान समाचारपत्रों जिन्होंने उपरोक्त अनुच्छेद 2.1 में अन्तर्विष्ट शर्तें पूरी कर ली है, उनकी 1982-83 के लिए अखबारी कागज की मूल हकदारी 1981-82 में अखबारी कागज अथवा सफेद प्रिंटिंग कागज अथवा दोनों की यथार्थ खपत के आधार पर औसत प्रसार, पृष्ठों की औसत संख्या, प्रकाशित औसत पृष्ठ क्षेत्र और प्रकाशन दिनों की संख्या इस नीति के परिशिष्ट के अनुच्छेद 2.7 और 2.8 के साथ पठित अनुच्छेद 2.1 में अन्तर्विष्ट किये गये अनुदेशों के अनुसार हिसाब में लेते हुए निर्धारित की जायेगी।

4.2 वर्ष 1982-83 की हकदारी निर्धारित करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन के लिए योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये और 1981-82 के दौरान खपत किये गये अखबारी कागज को भी हिसाब में लिया जायेगा।

4.3 किसी समाचारपत्र के सभी संस्करण (अर्थात् जिसका वही नाम हो, वही आवधिकता हो, उसी भाषा में प्रकाशित किया गया हो और उसी स्वामी के स्वामित्व में हो) चाहे वे उसी स्थान से अथवा अलग-अलग स्थानों में प्रकाशित हुए हों, को एक समाचारपत्र माना जायेगा और उसकी हकदारी सभी संस्करणों के निष्पादन विवरण के आधार पर निकाली जायेगी।

4.4 नए समाचारपत्रों को आरम्भिक कोटे की अनुमति इस नीति के परिशिष्ट के अनुच्छेद 2.3 और 2.4 में अन्तर्विष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार दी जायेगी

4.5 जिन समाचारपत्रों को 1980-81 में अथवा किसी पहले के वर्ष में अखबारी कागज का आबंटन किया गया था परन्तु जिसने 1981-82 में कोई भी अखबारी कागज प्राप्त नहीं किया उनको इस नीति के परिशिष्ट के अनुच्छेद 2.5 में अन्तर्विष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार अखबारी कागज का आबंटन किया जायेगा।

5. पुनरीक्षण :

5.1 जिन समाचारपत्रों ने वर्ष 1982-83 के लिए अखबारी कागज की मूल हकदारी प्राप्त कर ली है, वह प्रसार में वृद्धि के आधार पर आबंटन के बढ़ने वाले पुनरीक्षण के लिए एक बार आवेदन कर सकते हैं।

5.2 ऐसे तथ्यों की दृष्टि से जैसे कि अखबारी कागज की मात्रा की संभावित उपलब्धता और बफर स्टाक में पर्याप्त मात्रा बनाये रखने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न स्रोतों से आबंटन में पुनरीक्षण/परिवर्तन किया जा सकता है।

6. अंतिम तिथि

अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन पत्र निर्धारित फार्म में देना चाहिए और वह भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक दिल्ली को भेजना चाहिए, जिससे कि वह 30 नवम्बर, 1982 को अथवा इससे पहले उनके पास पहुंच जाए।

7. अनुदेश :

इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत अनुदेश इस नीति के परिशिष्ट में दिये गये हैं।

परिशिष्ट

अखबारी कागज आबंटन नीति 1982-83 की शर्तों के अनुसार अखबारी कागज के आबंटन के लिए अनुदेश

1. नियमितता :

1.1 समाचारपत्रों को अखबारी कागज का आबंटन किया जा सकता है यदि उनकी प्रकाशन की निम्नलिखित नियमितता है :

(1) 1981-82 में 50 प्रतिशत तथा

(2) 1982-83 में दैनिकों के मामले में 90 प्रतिशत और आवधिकों के मामले में 66⅔ प्रतिशत।

2. हकदारी :

2.1 किसी समाचारपत्र की 1982-83 में अखबारी कागज का मूल हकदारी उसके द्वारा 1981-82 में अखबारी कागज या सफेद प्रिंटिंग कागज अथवा दोनों की खपत के आधार पर उसके औसत प्रसार, पृष्ठों की औसत संख्या, प्रकाशित औसत पृष्ठक्षेत्र तथा प्रकाशित दिनों की संख्या को हिसाब में लेते हुए निर्धारित की जायेगी। ऐसे मामले में जहां कि वर्ष 1981-82 के लिए फार्म एन०पी०-3 में निष्पादन विवरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, उन मामलों में 1981-82 के अन्तिम तीन माह के दौरान खपत की प्रायोजना 1-4-81 से 31-12-81 की अवधि के औसत के आधार पर निकाली जाएगी जैसे कि वर्ष 1981 के वार्षिक विवरण में प्रदर्शित किया गया।

2.2 निर्यात प्रोन्नति योजना के अन्तर्गत अखबारी कागज के उपयोग के संबंध में सूचना फार्म एन०पी० 2 का कालम 6 में प्रस्तुत करनी चाहिए।

2.3 नए समाचारपत्रों को प्रथम चार महीनों के लिए प्रारम्भिक कोटे की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक आवेदक द्वारा प्रसार संख्या के प्रोजेक्शन से सन्तुष्ट होने पर निर्धारित करेंगे, जो दैनिकों के मामले में प्रति अंक आठ मानक पृष्ठों (254 0 वर्ग सें०मी०) की अधिकतम 10,000 प्रतियों और अन्य के मामले में सोलह मानक पृष्ठों के अधीन होगा।

2.4 नए समाचारपत्र जो प्रारम्भिक कोटा प्राप्त करते हैं वे तीन महीने के प्रकाशनों को एक पक्ष के अन्दर उनको आबंटित अखबारी कागज के उचित प्रयोग का प्रमाण फार्म एन०पी०-3 में प्रस्तुत करना चाहिए। तत्पश्चात वर्ष 1982-83 के लिए इसकी हकदारी वास्तविक निष्पादन और शेष कोटा, यदि कोई हो, शेष वर्ष के लिए अखबारी कागज हेतु प्रकाशन द्वारा औपचारिक आवेदन पत्र की प्रस्तुति से प्रार्थना पर विमोचित के आधार पर प्रकाशन की तारीख से निर्धारित की जाएगी।

2.5 जिन समाचारपत्रों को 1980-81 में अथवा किसी पहले वर्ष में अखबारी कागज का आबंटन किया गया था परन्तु जिन्होंने 1981-82 में कोई भी अखबारी कागज प्राप्त नहीं किया, वे उनके आवेदन पत्र के प्राप्त होने के महीने से अखबारी कागज के हकदार होंगे। जिस वर्ष में उन्होंने अखबारी कागज प्राप्त नहीं किया था उन वर्षों के लिए उनकी हकदारी का हिसाब अनुमानित आबंटन को करके के बाद किया जाएगा।

2.6 समाचारपत्रों की हकदारी आयातित अखबारी कागज और स्वदेशी अखबारी कागज के लिए भी 59 ग्राम पदार्थ जमा व घटा 5 प्रतिशत के आधार पर निकाली जाएगी।

2.7 समाचारपत्रों का प्रसार (क) विक्रय की गई प्रतियों की संख्या और (ख) मुफ्त वितरित प्रतियों की संख्या, बिना बिकी लौटाई गई अथवा अन्य कोई मुद्रित प्रतियां, जो न तो बिकी हों और न ही मुफ्त वितरित की गई हों, को हिसाब में लेकर निर्धारित किया जायगा, बशर्ते कि संबंधित मुद्रण आदेश की प्रतिशतता निम्न से अधिक न हो--

प्रसार	दैनिक/त्रि साप्ताहिक	साप्ताहिक और पाक्षिक	अन्य
5,000 तक	10%	15%	20%
5,000 और 10,000 के बीच	10%	10%	15%
10,000 से अधिक	5%	5%	10%

2.8 प्रेस पंजीयक, प्रत्येक मामले में मूल हकदारी निकालने और उसे पुनरीक्षण करने में जैसा वह उचित समझे सामान्य औसत खपत के आधार पर निम्नलिखित की उपेक्षा कर सकते हैं :—

1. विशेष परिस्थितियां जिसमें हड़ताल/तालाबन्दी या अन्य कारण शामिल है, से उत्पन्न प्रसार में असाधारण अल्पावधि गिरावट, और

2. प्रसार में असाधारण अल्पावधि वृद्धि, समाचारपत्रों की प्रतियोगिता में कार्य के बन्द होने/रुकावट होने अथवा अन्य कोई असाधारण परिस्थितियां।

ऐसे समाचारपत्रों के मामले में जो असाधारण रूप से लंबी अवधि तक नहीं निकाले जा सके, उनकी हकदारी सभी संगत तथ्यों को हिसाब में लेने के बाद निकाली जा सकती है।

2.9 समाचारपत्रों को अतिरिक्त अखबारी कागज निम्न सीमाओं तक छीजन की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा।

(1) सभी समाचार पत्रों के लिए 5 प्रतिशत

(2) आवधिकों के मामले में जो बहु रंग प्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं 7 प्रतिशत

2.10 अगर किसी समाचार पत्र ने 1981-82 अथवा किसी गत वर्ष में उनको आवंटित अखबारी कागज का प्रयोग न किया हो तो अप्रयुक्त मात्रा को उसके वर्ष 1982-83 की हकदारी में समायोजित किया जाएगा।

3. **आवेदन पत्र भेजने की प्रक्रिया :**

3.1 प्रकाशक अथवा उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अखबारी कागज के आवंटन के लिए आवेदन पत्र फार्म एन० पी०-1 और एन० पी०-2 में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक, नई दिल्ली को भेजने चाहिए ताकि वह उनके पास 30 नवम्बर, 1982 को या इससे पहले पहुंच जाएं।

3.2 समाचारपत्रों द्वारा अखबारी कागज के लिए आवेदनपत्र के साथ फार्म एन० पी०-3 में वर्ष 1981-82 के निष्पादन विवरण का प्रमाण-पत्र अथवा प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 19-डी के अन्तर्गत अपेक्षित 1981 के वार्षिक विवरण की एक प्रति दाखिल करनी अपेक्षित है। जिन समाचारपत्रों का औसत प्रसार 2000 प्रतियां प्रति अंक, से अधिक है, उनका प्रमाण-पत्र अथवा वार्षिक विवरण जैसा भी मामला हो, सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

3.3 नए प्रकाशनों द्वारा (उपरोक्त अनुच्छेद 2.3 के तहत) आरंभिक कोटा के लिए आवेदन-पत्र फार्म एन० पी०-1 में देने चाहिए और उनके साथ निम्नलिखित होने चाहिए :—

(1) फार्म एन० पी०-4 तथा

(2) आवेदक द्वारा निष्पादित बांड और किसी अनुसूचित ग्रामीण या सहकारी बैंक द्वारा आवेदक की आरम्भिक हकदारी के अखबारी कागज के मूल्य के 20 प्रतिशत के लिए विधिवत् गारंटी हो। कागजाती प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति से भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक की संतुष्टि हो जाने पर कि समाचारपत्र के प्रकाशन के लिए यह अखबारी कागज उपयोग किया गया है तो यह बांड रद्द कर दिया जाएगा।

3.4 हकदारी के पुनरीक्षण के लिए किए गए आवेदन पत्रों के साथ निम्नलिखित कागजात होने चाहिए :—

(1) फार्म एन० पी०-3 में 1982-83 के लिए निष्पादन विवरण प्रमाणपत्र (पूर्व मास के अन्त तक जिसमें कि आवेदन पत्र किया गया है) ऐसे समाचारपत्रों के मामले में, जिनकी प्रसार संख्या 2000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक है, यह प्रमाण-पत्र सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। तथा

(2) जिन समाचारपत्रों की अखबारी कागज की हकदारी 30 0 मीट्रिक टन, अथवा इससे अधिक है, उनको आवेदन पत्र के साथ आयकर रिटर्न की अधिप्रमाणित प्रति और वर्ष 1981-82 का तुलन पत्र भेजना चाहिए।

3.5 जिन समाचारपत्रों की प्रसार संख्या भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रसार संख्या, उनके द्वारा दावा की गई प्रसार संख्या की अपेक्षा कम है, वे उन्मुक्त पुनरीक्षण के लिए ग्राह्य नहीं होंगे।

3.6 हकदारी के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र भारत के समाचारपत्रों के कार्यालय में 15 जनवरी, 1983 को अथवा इससे पहले पहुंच जाने चाहिए।

4. **आवंटन :**

4.1 अखबारी कागज स्टैंडर्ड, रोटो, ग्रावर और प्लेज्ड का आवंटन, अनुच्छेद 4.2 में उल्लेख के अतिरिक्त प्राय. रीलों में किया जाएगा।

4.2 शीट फेड मशीनों में मुद्रित समाचारपत्रों अपनी हकदारी केवल शीटों में प्राप्त करेंगे। अगर शीटों उपलब्ध नहीं हैं तो रीलों की शीटों में बदलने के लिए हकदारी में 5 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जाएगी बशर्ते यह प्रमाणित हो जाए कि प्रिंटिंग वास्तविक में शीटों में हुआ है।

4.3 नेपा मिल के अखबारी कागज में संबंध में प्रकाशनों को नेपा अखबारी कागज के लिए उनकी हकदारी की अपेक्षा 15 प्रतिशत अधिक की अनुमति दी जाएगी।

4.4 दैनिक पत्रों के अलावा जिन आवधिकों का प्रकाशन तीन महिने के अधिक समय से नियमित रूप से हो रहा है, उनकी पूरी हकदारी या उसका एक हिस्सा प्लेज्ड या रोटो ग्रावन अखबारी कागज में देने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वह उपलब्ध हो।

4.5 300 मीट्रिक टन से न्यून हकदारी वाले समाचारपत्रों को स्वदेशी अथवा आयातित अखबारी कागज या तो भाग में अथवा पूर्ण में लेने का विकल्प होगा।

4.6 300 मीट्रिक टन/अथवा अधिक हकदारी वाले समाचारपत्रों को अखबारी कागज का आवंटन निम्न प्रकार होगा :—

(1) हकदारी का 20 प्रतिशत	नेपा अखबारी कागज
(2) हकदारी का 20 प्रतिशत	मैसूर पेपर मिल्स या/और एन० पी० सी० (केरल अखबारी कागज प्रोजेक्ट) से अखबारी कागज।
(3) हकदारी का 60 प्रतिशत	आयातित अखबारी कागज (इसका कम से कम 25 प्रतिशत राज्य व्यापार निगम के बफर स्टाक से उठाया जाना चाहिए)

4.7 देशी और आयातित अखबारी कागज के अनुपात में समय-समय पर स्टाक की उपलब्धि की दृष्टि से भिन्नता हो सकती है।

4.8 अगर राज्य व्यापार निगम द्वारा लेटर्स ऑफ क्रेडिट की प्राप्ति के 120 दिन के भीतर लदान नहीं किया जाता तो होई सी सेल्स के आधार पर बफर स्टाक से अनुपातिक मात्रा में आवंटन करने का प्रयत्न किया जाएगा, जो बाद में फिर से पूरा किया जाएगा।

5. **वितरण :**

5.1 आयातित अखबारी कागज के वितरण का कार्य पूर्णतया, अखबारी कागज नियंत्रण आदेश 1962 की हिदायतों और उपबंधों के अनुपालन के अनुसार भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा प्राधिकृत राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाएगा

5.2 हार्ड सी सेल्स के आधार पर डिलिवरी विदेशी सप्लायर द्वारा बुकिंग के लिए स्वीकार की गई न्यूनतम मात्रा अधीन होगी।

5.3 जिन समाचारपत्रों को हार्ड सी सेल्स के आधार पर आवंटन किया जाता है उनको राज्य लघु उद्योग विकास निगम अथवा जो ऐसे अन्य निगम जो राज्य में कार्यरत है अथवा उनके प्राधिकृत एजेंटों के द्वारा भी डिलीवरी लेने की अनुमति होगी।

5.4 ऐसे समाचारपत्र जो हार्ड सी सेल्स आवंटन की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं क्योंकि उनकी अलग-अलग हकदारी बहुत कम होने के कारण इस व्यवस्था में नहीं आ सकती। वे समाचारपत्र दूसरे छोटे समाचारपत्रों के साथ अपनी हकदारी मिला सकते हैं और अखबारी कागज हार्ड सी सेल्स से या राज्य लघु उद्योग विकास निगम या कोई ऐसा अन्य निगम, जो राज्य में कार्यरत है, के द्वारा अथवा उनके लिए कार्य कर रहे प्राधिकृत एजेंटों के द्वारा ले सकते हैं।

5.5 स्वदेशी अखबारी कागज की हकदारी के लिए संबंधित मिलों को प्राधिकरण सीधे भारत के समाचारपत्रों पंजीयक द्वारा जारी होंगे।

5.6 समाचारपत्रों को हार्ड सी सेल्स अथवा बफर स्टाक अथवा देशी स्रोतों से अपना आवंटन निम्नलिखित अवधि के भीतर उठाना चाहिए:--

1. 50 टन से कम हकदारी वाले	6 महीने
2. अन्य	2 महीने

अगर कोई समाचारपत्र ऐसा करने में असफल होता है तो वह आगे अखबारी कागज के आवंटन से वंचित होने का उत्तरदायी होगा।

6. एक समाचारपत्र को आबंटित अखबारी कागज का दूसरे समाचारपत्र के लिए उपयोग

एक समाचारपत्र दूसरे समाचारपत्र अथवा समाचारपत्रों को आवंटित अखबारी कागज का उपयोग नहीं करेगा यद्यपि संबंधित प्रकाशन का वही स्वामित्व हो अथवा हार्ड सी सेल्स के आधार पर आयातित अखबारी कागज प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उनकी हकदारी मिला देने की अनुमति दी गई हो।

7. अपवाद

7.1 इन अनुदेशों में किसी बात के होते हुए भी भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक उचित और विधिमान्य कारणों से किसी भी आवश्यकता को हटा सकते हैं या इन अनुदेशों में कोई भी रियायत दे सकते हैं।

8. विविध

8.1 अखबारी कागज के जिस डीलर अथवा एजेंट ने अखबारी कागज नियंत्रण आदेश 1962 का अनुपालन नहीं किया है उसको आयातित कागज हार्ड सी सेल्स अथवा बफर स्टाक से लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.2 स्वदेशी अखबारी कागज विनिर्माण करने वाली मिलों को भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को आवधिक रूप से ऐसी सूचना जैसे कि अपेक्षित है, प्रस्तुत करनी होगी जो अखबारी कागज नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत अपेक्षित है।

8.3 जिस समाचारपत्र को अखबारी कागज का आवंटन किया गया हो उसको फार्म एन० पी०-3 में वर्ष 1982-83 के लिए निष्पादन विवरण प्रमाण-पत्र विधिवत् सनदी लेखापाल से प्रमाणित करवा कर यदि प्रसार संख्या 2000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक होती 30 जून, 1983 तक प्रेस पंजीयक को प्रस्तुत करना चाहिए।

8.4 जो समाचारपत्र निलम्बित हो जाता है अथवा जिसका प्रकाशन बंद हो जाता है उसे प्रकाशन के निलंबित/बन्द होने के एक महीने के भीतर फार्म एन० पी० 3 में निष्पादन विवरण प्रमाण-पत्र भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा। भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के निदेशनों के अनुसार उसे उपयोग ही किया गया अखबारी कागज भी अभ्यर्पण करना होगा।

8.5 फार्म एन० पी०-1, एन० पी०-2, एन० पी०-3 और एन० पी०-4 के नमूने संलग्न हैं।

फार्म-आई

फार्म-एन० पी० 1

अखबारी कागज के आवंटन के लिए समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के आवेदन पत्र का फार्म।

भाग-1

1. आवेदक का नाम
2. समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का नाम
3. डाक का पूरा पता
4. (क) दिनांक जब से समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है
   (ख) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या
   (ग) जिला मजिस्ट्रेट के यहां नवीनतम घोषणा दाखिल किए जाने की तारीख
5. प्रतिष्ठान का प्रकार अर्थात् सार्वजनिक/निजी स्वामित्व आदि तथा निदेशकों/भागीदारों आदि के नाम
6. 12 महीने के लिए अपेक्षित अखबारी कागज की मात्रा/मूल्य
7. (क) क्रमबद्ध वितरण अपेक्षताएं
   (ख) प्राधिकृत एजेंट का नाम

8. समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों का नाम तथा अन्य विवरण जो आवेदक के स्वामित्व में है।

समाचार पत्र का नाम	भाषा तथा नियतकालिकता	प्रकाशन का स्थान	क्या सरकार द्वारा अखबारी कागज मिलता है।
1	2	3	4

9. समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के प्रकाशन दिवस के प्रसार आदि का विवरण

(क) प्रस्तावित प्रकाशन की तिथि

(ख) छपने के लिए प्रस्तावित प्रतियों की औसत संख्या

(ग) औसत पृष्ठ संख्या

(घ) समाचारपत्रों/नियत कालिक पत्रों के एक पृष्ठ का औसत क्षेत्र (वर्ग सें० मी० में)

(ङ) प्रकाशन दिवसों की संख्या

10. अखबारी कागज का विवरण (ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड/रील की आवश्यकता वाले अलग-अलग उल्लेख कीजिए)

मद संख्या	मात्रा मीट्रिक टनों में	स्रोत	मूल्य (सी० आई० एफ० रुपयों में)
1	2	3	4

वर्ष 1981-82 की अवधि में की गई खपत।

वर्ष 1982-83 के लिए आवश्यकता

11. पिछला लाइसेंसिंग वर्ष जिसमें भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय से अखबारी कागज लिया गया था।

12. (क) मशीन की किस्म (अर्थात् रोटरी/फ्लैटबेड/सैटर प्रेस)।
(ख) अपेक्षित रीलों/शीटों का आकार

घोषणा

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही हैं। मैं/हम यह भली भांति समझता हूं/समझते हैं कि मुझे/हमें जो भी आवंटन प्रस्तुत विवरण के आधार पर स्वीकृत होगा यदि यह सिद्ध हो जाता है कि दिए गए विवरण गलत या असत्य हैं तो वह किसी अन्य जुर्माने के अलावा जो सरकार लगा सकती है अथवा अन्य कोई कार्यवाही, जो की जा सकती है मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रद्द करने योग्य है।

2. मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि अगर अखबारी कागज का आवंटन किया जाता है तो वह केवल हमारे ऊपर दिए गए पते के प्रेस/अहाता/संस्थापन में प्रयुक्त होगा।

3. मैं/हम भी अच्छी तरह समझता हूं/समझते हैं कि सारणीबद्ध की गई मद (दों) का आवंटन सारणीबद्ध एजेंसी के जरिए आयात व्यापार नियंत्रण विनियम के अन्तर्गत किया जाता है और जिन शर्तों पर माल की निकासी उपयोग के लिए दी जाती है ऐसी वस्तुओं के किसी दुरुपयोग करने के उल्लंघन पर आयात तथा निर्यात (केन्द्रीय) अधिनियम 1947, यथासंशोधित तथा उसके अधीन जारी आदेश की व्यवस्थाओं की ओर आकृष्ट होगा।

4. मैं/हमने आयात नीति/आयात निर्यात प्रक्रिया की 1981-82 की हस्त पुस्तिका के प्रासंगिक उपबंधों को नोट कर लिया है।

हस्ताक्षर- ---------------

नाम स्पष्ट अक्षरों में- ---------------

पद का नाम- ---------------

निवास स्थान का पता- ---------------

दिनांक ---------------

फार्म एन०पी० 2

सभी आवेदकों द्वारा दिया जाने वाला विवरण

1. पत्र का नाम

2. भाषा/प्रावधिकता

3. प्रकाशन का स्थान

4. अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 (अखबारी कागज नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1962 द्वारा यथा संशोधित) के खण्ड 5क के अनुसार किस तारीख से गत अंक की लगातार प्रतियां प्रकाशित की जा रही हैं।

5. वर्ष 1981-82 के दौरान प्रति मास की प्रति प्रकाशन दिवस की प्रकाशन औसत पृष्ठों की संख्या (मीलमें) (इस फार्म के अन्त में सलग्न अनुदेशों के अनुसार निकाली जा सकती है)

अप्रैल 81	मई 81	जून 81	जुलाई 81	अगस्त 81
सितम्बर 81		अक्तूबर 81		नवम्बर 81
दिसम्बर 81	जनवरी 82	फरवरी 82		मार्च 82

6. निर्यात संवर्धन की योजना के अन्तर्गत प्राप्त अखबारी कागज की खपत और वर्ष 1981-82 के दौरान खपत

ग्लेज्ड	अनग्लेज्ड	कुल

(ह्रा०..........)

प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक

नोट:—कालम 5 में दिये जाने वाले आंकड़ों के लिए अंक के कुल पृष्ठों की संख्या से गुणा करके संबंधित प्रकाशन दिवस को प्रकाशित कुल पृष्ठों की सूचना प्राप्त की जा सकती है। मास में सभी प्रकाशित दिवसों के कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या को जोड़ लेना चाहिये। इस कुल संख्या को उस मास के कुल प्रकाशन दिवसों की संख्या से भाग करके मासिक औसत संख्या प्राप्त की जा सकती है।

फर्म एन०पी० 3

1-4-81 से 31-3-82 तक की अवधि के लिए प्रसार आदि संबंधी निष्पादन विवरण प्रमाणपत्र का फार्म

1. समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का नाम .... 3 भाषा ....

2. प्रकाशन का स्थान .... 4 प्रावधिकता पीरियाडिसी टी) ....

प्रतिमास औसत मास के दौरान

	अप्रैल 81	मई 81	जून 81	जुलाई 81	अगस्त 81	सितम्बर 81	अक्तूबर 81	नवम्बर 81	दिसम्बर 81	जनवरी 82	फरवरी 82	मार्च 82	वर्ष का औसत
(क) प्रतिमास वास्तविक प्रकाशन दिवसो की संख्या													
(ख) प्रति प्रकाशन दिवस प्रकाशित प्रतियों की औसत संख्या													
(ग) प्रति प्रकाशन दिवस बेची गई प्रतियों की औसत संख्या													
(घ) प्रति प्रकाशन दिवस मुफ्त वितरित (मानार्थ, वाउचर, विनिमय बोनस नमूना एवं कार्यालय प्रतियो सहित) प्रतियों की औसत संख्या													
(ङ) अनबिकी, वापिस की गई और अन्य मुद्रित प्रतियों की संख्या, जो (ख) और (ग) में शामिल नहीं की गई													
(च) समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का औसत आकार (वर्ग से०मी०में)													

	अप्रैल 81	मई 81	जून 81	जुलाई 81	अगस्त 81	सितम्बर 81	अक्तूबर 81	नवम्बर 81	दिसम्बर 81	जनवरी 82	फरवरी 82	मार्च 82	वर्ष का औसत
(छ) प्रकाशन दिवस के प्रति अंक के पृष्ठों की औसत संख्या													
(ज) प्रति प्रकाशन दिवस की प्रकाशित पृष्ठों की औसत संख्या । वर्ष के दौरान अखबारी कागज की कुल खपत (टन में) वर्ष 1981-82 के दौरान सफेद प्रिंटिंग कागज की खपत (टनों में)													

प्रकाशक के हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

सनदी लेखापाल का प्रमाण पत्र

मैंने/हमने वर्ष 1981-82 के दौरान प्रकाशित सर्वश्री ..... (पत्र का नाम, भाषा और आवधिकता) के हिसाब की जांच कर ली है और अपने लिए आवश्यक सभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है । मेरे/हमारे विचार से वर्ष 1981-82 के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं लेखा किताबों के अनुसार प्रदत्त विवरण से प्रसार संख्या, पृष्ठों की संख्या, आकार और प्रकाशन दिवसों की संख्या का सही विश्लेषण करता है ।

तारीख .....

सनदी लेखापाल की मुहर हस्ताक्षर .....

1. उस व्यक्ति का नाम एवं पद जिसने प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किये है ।
2. पंजीकरण संख्या .....
3. पता .....

नोट :— 1 यदि वर्ष के औसत प्रसार संख्या 2,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक हो तो प्रमाणपत्र सनदी लेखापाल के पत्र शीर्ष पर टाईप होना चाहिए और उसी सनदी लेखापाल द्वारा ही सम्यक रूप से प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए ।

2. सभी औसत मास के अनुसार तत्संबंधी मास के दौरान निष्पादन के तथ्यों के आधार पर ही दिये जाने है ।

3 (छ) में दिये जाने वाले आंकड़ों, मास के दौरान प्रकाशित सभी अंकों के कुल पृष्ठों के जोड़ को उस मास के कुल प्रकाशन दिवसों की संख्या से भाग करके प्राप्त किये जा सकते है, जबकि (ज) में दिये जाने वाले आंकड़ों का हिसाब इस प्रकार होगा : एक अंक के पृष्ठों की संख्या को उस अंक के कुल प्रकाशित प्रतियों की संख्या से गुणा करने से तत्संबंधी प्रकाशन दिवस की कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या निकल जायेगी । महीने में सभी प्रकाशन दिवसों की कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या को जोड़ लेना चाहिए । मासिक औसत संख्या प्राप्त करने के लिए इस कुल संख्या को उस मास के कुल प्रकाशन दिवसों की संख्या से भाग किया जाना चाहिए ।

फार्म एन०पी०-4

नए दैनिक/नियतकालिक पत्रों के प्रकाशकों द्वारा दिए जाने वाला विवरण

1. समाचारपत्र/पत्रिका का नाम
   (क) नाम
   (ख) भाषा
   (ग) आवधिकता
2. अन्तिम घोषणा देने की तारीख
3. प्रकाशन आरम्भ करने की प्रस्तावित तारीख
4. मुद्रण हेतु प्रतियों की औसत प्रस्तावित संख्या
   (क) बिक्री हेतु प्रतियों की संख्या
   (ख) मुफ्त विवरण हेतु प्रतियों की संख्या

5 प्रकाशन का स्थान और मुद्रणालय का ब्यौरा

(क) मुद्रणालय के मालिक का विवरण

नाम

पता

(ख) छपाई की क्षमता

छपाई/मुद्राक्षर-विन्यास यंत्र (कम्पोजिंग मशीन) का मेक, माडल प्रति घंटा की गति और मशीन की वर्तमान आयु लिखें ।
(अर्थात् मशीन कब की बनी हुई है)

6 क्या अनुसूचित बैंक के नमूने के फार्म में बैंक की प्रतिभूति (गारंटी) दी गई है।

7. यदि हां, तो बैंक का नाम और प्रत्याभूति (गारन्टी) की रकम लिखें ।

8 क्या अखबारी कागज अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा उठाया जायगा ।

9 यदि हां तो एजेंट का नाम लिखें

10. अखबारी कागज को उठाने की शर्त किश्तों में है या थोक में, बफर स्टाक/हाई सी सेल्स में

11. सम्पादक का नाम

घोषणा

मैं/हम यहां इस बात की घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त तथ्य मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है।

स्थान :
तारीख .

हस्ताक्षर . . .
नाम साफ अक्षरों में
पद . . .
निवास स्थान का पता . . . . . .

बैंक गारंटी के लिए फार्म

सेवा में,

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
पश्चिम ब्लाक-8
रामकृष्ण पुरम,
नई दिल्ली-110066

प्रिय महोदय,

जबकि सर्वश्री . . . . . .

(इसके बाद "अलाटी" कहा जायेगा) ने समाचारपत्र के प्रकाशनार्थ अखबारी कागज की निम्नलिखित मात्रा के आयात के लिए आपसे निवेदन किया है ।

नाम . . . . . भाषा . . . . . .

आवधिकता . . . . प्रकाशन का स्थान . . . . . .

लगभग मात्रा . . . . लगभग सी आई एफ मूल्य रुपये . . . . . .

और जब कि प्रस्तावित प्रकाशन के लिए अग्रिम आबंटन की शर्त के अनुसार, आवेदन की गई अखबारी कागज की मात्रा के लगभग मूल्य का 20 प्रतिशत के लिए अलाटी को बैंक गारंटी देना अपेक्षित है ।

अब उपरोक्त वचनों के विचारार्थ मैं और अलाटी के निवेदन पर, हम बैंक का नाम और पता एतद्द्वारा शर्त के रूप में अटल गारन्टी देते हैं और यह कि विक्रय कीमत की अदायगी न करने के मामले में और/अथवा आपके द्वारा निर्धारित/निर्धारित होने वाली सभी अथवा किसी भी शर्त के पालन करने में अलाटी की ओर से अन्य कोई चूक/असफलता का भार अपने ऊपर लेते हैं और हम आपकी प्रथम मांग पर . . . . . रुपये तक कोई भी राशि बिना विलम्ब अथवा अलाटी को बिना किसी हवाले के देंगे ।

आपका यह निर्णय कि अलाटी की ओर से चूक/असफलता हुई है, अंतिम निर्णायक और हम पर बाध्य होगा ।

यह गारन्टी अलाटी को आपके द्वारा बनाई गई किसी प्रकार के बचाव अथवा अनुग्रह और/अथवा आप द्वारा निर्धारित शर्तों में किसी परिवर्तन द्वारा और/अथवा उसी के गठन में और/अथवा अलाटी द्वारा प्रभावित नहीं होगी ।

यह गारन्टी जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए विधिमान्य और उसकी समाप्ति की तारीख के छ महीने भीतर उसके अन्तर्गत रकम की मांग भेजनी चाहिए ।

दिनांक

भवदीय,
प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

PUBLIC NOTICE No. 1-PR-NP/82

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September 30, 1982

File No. 33(25)/82-PR-NP, JS(B).—In terms of para 6 of Appendix 9 to the Import and Export Policy for April 1982—March 1983, read with sub clause (5) of Clause 3 of the Newsprint Control Order, 1962, the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting hereby notify the Newsprint Allocation Policy for the licensing year April 1982—March 1983 as in the Annexure to this Public Notice.

2. The price of imported newsprint in all varieties will be fixed separately by the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting for each quarter of the above licensing year and the same will be announced through the State Trading Corporation of India, New Delhi.

J. K. BHATTACHARYA, Joint. Secy.

ANNEXURE

NEWSPRINT ALLOCATION POLICY, 1982-83

1. Applicability :

This Policy relates to allocation of newsprint to which the Newsprint Control Order, 1962 applies.

2. Definition .

In this Policy and in the appended instructions, a "newspaper" shall mean a daily newspaper or any other periodical.

3. Eligibility :

3.1 Every newspaper which fulfilled the prescribed percentage of regularity of publication, as mentioned in para 1 of the Appendix to this Policy, is eligible for allocation of newsprint.

3.2 Allocation of newsprint may also be authorised by RNI for the following :—

(i) Transmission of news over teleprinters by news agencies;

(ii) Trial printing by newspaper ;

(iii) Printing of low price books for promotion of education; and

(iv) Printing of college and school magazines.

3.3. The following categories of publications will not be eligible for allocation of newsprint :—

(i) Journals published primarily to promote sale of goods or services;

(ii) House journals/magazines brought out by undertakings/firms/industrial concerns;

(iii) Price lists; catalogoues and lottery news;

(iv) Racig guides; and

(v) Sex Magazines.

4. Entitlement :

4.1 The basic entitlement of newsprint for 1982-83 of the existing newspapers which have fulfilled the stipulations as contained in para 2.1 above, will be determined on the basis of actual consumption of newsprint or white printing paper or both in 1981-82 taking into account the average circulation, the average number of pages, the average page area published and the number of publishing days, as per instructions contained in para 2.1 read with paras 2.7 and 2.8 of the Appendix to this Policy.

4.2 Newsprint obtained under the scheme for export promotion and consumed during 1981-82 will also be taken into account [illegible] entitlement of 1982-83.

4.3 All the editions of a newspaper (i.e. bearing the same title, having the same periodicity, published in the same language and owned by the same owner), whether published from the same place or from different places would be treated as one newspaper and its entitlement will be calculated on the basis of the performance particulars in respect of all the editions.

4.4 New newspapers will be allowed an initial quota as per provisions contained in paras 2.3 and 2.4 of the Appendix to this Policy.

4.5 Newspapers which were allocated newsprint in 1980-81 or in any earlier year, but which did not obtain any newsprint in 1981-82, will be allotted newsprint as per provisions contained in para 2.5 of the Appendix to this Policy.

5. Revision

5.1 Newspapers which have secured the basic entitlement of newsprint for 1982-83, can apply once for upward revision of the allocation on the basis of increase in circulation.

5.2 The allotment from different sources may be revised/varied in the light of such factors as quantities of newsprint likely to be available and the need to maintain adequate buffer stocks.

LAST DATE

6. Applications for allocation of newsprint should be made in the prescribed form and addressed to the Registrar of Newspapers for India West Block No. 8, Wing No. 2, R.K. Puram, New Delhi, so as to reach him on or before 30th November, 1982.

7. Instructions :

Detailed instructions for implementing this Policy are given in the Appendix to this Policy.

APPENDIX

INSTRUCTIONS FOR THE ALLOCATION OF NEWSPRINT IN TERMS OF THE NEWSPRINT ALLOCATION POLICY, 1982-83

1. Regularity :

1.1 Newspapers can be allocated newsprint only if they have a regularity of publication of—

(i) 50 per cent in 1981-82; and

(ii) 90 per cent in the case of dailies and 66.2/3 per cent in the case of periodicals in 1982-83.

2. Entitlement :

2.1 The basic entitlement of newsprint of a newspaper in 1982-83 will be determined on the basis of the consumption of newsprint or white printing paper or both in 1981-82, taking into account its average circulation, average number of pages, the average page area published and the number of publishing days. In a case where Performance Particulars Certificate for 1981-82 in Form NP-3 has not been submitted; the projection of consumption during the last three months of 1981-82 will be made on the basis of the averages for the period from 1-4-1981 to 31-12-1981 as reflected in the Annual Statement for 1981.

2.2 Information regarding utilisation of newsprint under Export Promotion Scheme should be furnished in column 6 of Form NP-2.

2.3 New newspapers will be allowed an initial quota for the first four months, as determined by the RNI, upon his satisfaction of the projection of circulation by the applicant, subject to a maximum of 10,000 copies per issue of eight standard pages (2540 sq.cms.) in the case of dailies and of sixteen standard pages in the case of other periodicals.

2.4 A newn ewspaper which receives an initial quota should produce within a fortnight of three months of publication, evidence of proper utilisation of the newsprint allocated to it, in Form NP-3. Thereafter, its entitlement for the year 1982-83 from the date of publication will be determined on the basis of actual performance and the balance quota, if any, released on request on submission of a formal application from the publication for newsprint for the rest of the year.

2.5 Newspapers which were allocated newsprint in 1980-81 or any earlier year but which did not obtain any newsprint in 1981-82 will be entitled to newsprint from the month of receipt of their application. Their entitlement will be calculated after making national allocation for the years in which newsprint had not been obtained by them.

2.6 The entitlement of newspapers for imported newsprint as also indigenous newsprint will be worked out on the basis of 50 gsm plus or minus 5 percent.

2.7 The circulation of newspapers will be determined taking into account (a) the number of copies sold and (b) the number of copies distributed free, returned unsold or printed but neither sold nor distributed free, provided these do not exceed the following percentage of the respective printorder.

Circulation	Dailies/ tri & beweeklies	Weeklies & fort-Nightlies	Others
Up to 5,000	10%	%	20%
Between 5000 & 10,000	10%	10%	15%
Above 10,000	5%	5%	10%

2.8 In working out the basis entitlement and in revising it, RNI may, as considered appropriate by him in each case and relying on the normal average consumption, ignore :

(i) abnormal short-term fall in circulation arising from special circumstances, inculding, strikes/lockouts or other reasons; and

(ii) abnormal short-term increase in circulation attendant upon closure/disruption of work in compeling news papers or any other extraordinary circumsatances

In the case of newspapers which could not come out for an abnormally long period, the entitlement may be worked out after taking into account all relevant factors.

2.9 Extra newsprint upto the limits indicated below will be allowed to newspapers as wastage compensation.

(i) for all newspapers	5%
(ii) In case of periodicals using multi coloured printing	7%

2.10. If any newspaper had not utilised any quantity allotted in 1981-82 or in any previous year, the unutilised quantity will be adjusted against its entitlement for 1982-83.

3. Procedure for submission of applications :

3.1 Application for allocation of newsprint should be made by the publisher or a person duly authorised by him in this behalf in Forms NP-1 and NP 2 and should be addressed to the Registrar of Newspapers for India, New Delhi, so as to reach him on or before 30th November, 1982.

3.2 Applications for newsprint by newspapers should be accompanied by a Performance Particulars Certificate for 1981-82 in Form NP-3 or a copy of the annual statement for 1981 required to be filed under Section 19 D of the PRB Act, 1867. In the case of newspapers whose average circulation exceeds 7,000 copies per issue, their certificates or the annual statements, as the case may be, should be certified by a Chartered Accountant.

3.3 Applications for initial quota by new publications (vide para 2.3 above) should be made in Form NP-1 and should be accompained by—

(i) Form NP-4; and

(ii) a bond executed by the applicant and duly guaranteed by any scheduled, rural or cooperative bank for 20 per cent of the value of the newsprint to which the applicant is entitled initially. This bond will be cancelled on the production of documentry evidence to the satisfaction of the RNI to show that the newsprint had been utilised for the publication of the newspaper.

3.4 Applications for revision of entitlement should be accompanied by the following documents;

(i) Performance Particulars Certificate for 1982-83 (up to the end of the month preceding the month in which the application is made) in form NP-3. In case of publications with a circulation of more than 2,000 copies per pulibshing day, this must be certified by a Chartered Accountant; and

(ii) an authentitcated copy of the income tax return and the balance-sheet for the year 1981-82 in cases where the entitlement of newsprint is 300 tonnes or more.

3.5 No newspapers whose circulation has been assessed by RNI to be lower than that claimed by it will be eligible for upward revision.

3.6 Application for revision of entitlement should reach RNI on or before 15th January 1983.

4. Allocation :

4.1 Allotment of newsprint—standard, rotogravure and glazed, will generally be made in reels, except as indicated in para 4.2

4.2 Newspapers printed on sheet-fed machines will received their entitlement only in sheets. In case sheets are not available, the entitlement will be raised by 5 per cent for conversion of reels into sheets on givin g proof that printing is actually carried out only in sheets.

4.3 In respect of newsprint from the Nepa Mills, publications will be allowed 15% more than their entitlement for Nepa newsprint.

4.4 Periodicals, other than dailies, which have been in regular publication for more than three months, may be allowed to obtain their full entitlement or a portion of it in glazed or rotogravure newsprint, subject to availability.

4.5 Newspapers with an entitlement of less than 300 tonnes will have the option to obtain indigenous or imported newsprint either in part or in full.

4.6 The allocation of newsprint for those entitled to 300 tonnes or more will be as follows :—

(i) 20% of the entitlement	—Nepa Newsprint.
(ii) 20% of the entitlement	—Newsprint from Mysore Paper Mills or/and H.P.C. (Kerala Newsprint Project).
(iii) 60% of the entitelemtnent	—Imported newsprint (At least 25% of this should be lifted from the STC's buffer stock).

4.7 The porportion of indigenous and imported newsprint may be varied in the light of availability of stocks from time to time.

4.8 If shipment is not effected within 120 days of receipt of Letters of Credit by STC, efforts will be made to allot proportionate tonnage from the buffer stock on high sea sales basis which will be later replenished.

5. Distribution :

5.1 The work relating to distribution of imported newsprint will be handled entirely by the STC as authorised by the RNI in accordance with these instructions and in compliance with the provisions of the Newsprint Control Order, 1962.

5.2 Delivery of high sea sales basis will be subject to the minimum quantity accepted for booking by the foreign supplier.

5.3 Newspapers which are given allotment on high sea sales basis, will be allowed to take delivery also through the State Small Industries Development Corporation or other such Corporations functioning in the State or through their authorised agents.

5.4 Newspapers which do not fulfil the condition of high sea sales allocations because of their individual entitlement being too small to be covered by that arrangement, can club their entitlement with those of other newspapers and get newsprint on high sea sales basis through either the State Small Industries Development Corporation or any other such Corporation functioning in the State or through their authorised agents.

5.5 Authorisations for entitlement of indigenous newsprint will be issued by the RNI direct to the Mills concerned.

5.6 Newspapers should lift their allotment from high sea sales or buffer stock or from indigenous sources within the periods specifi below :—

(i) with entitlement of less than 50 tonnes	—6 months
(ii) Others	—2 months

If a newspaper fails to do so, it is liable to lose further allotment of newsprint.

6. Use of newsprint allocated to one newspaper for another newspaper :

One newspaper shall not make use of the newsprint allotted to another newspaper or newspapers, even though the publications concerned have the same ownership or have been allowed to club their entitlement for the purpose of obtaining imported newsprint on high sea sale basis.

7. Exception:

Notwithstanding anything contained in these instructions, the RNI may waive any of the requirements or relax any of these instructions for good and valid reasons.

8. Miscellaneous :

8.1 No newsprint dealer or agent, who has not complied with the provisions of the Newsprint Control Order, 1962, will be allowed to obtain imported newsprint either on highsea sale or from the bufier stock.

8.2 The Mills producing indigenous newsprint shall furnish to the RNI such information as is required by him periodically under the Newsprint Control Order, 1962.

8.3 A newspaper which is allotted newsprint should submit to the RNI a Performance Particulars Certificate for 1982-83 in form NP-3 not later than 30th June, 1983, duly certified by a Chartered Accountant, if the circulation is over 2,000 copies per publishing day.

8.4 A newspaper which suspends or ceases publication shall submit to the RNI a Performance Particulars Certificate in Form NP-3 within a month of the suspension/cessation of publication. It shall also surrender the newsprint not utilised by it as per directions of the RNI.

8.5 Specimen of Forms NP-1, NP-2, NP-3, and NP-4 are attached.

FORM NP-1

FORM—I

APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF NEWSPRINT FOR NEWSPAPERS/PERIODICALS

PART—I

1. Name of the Applicant.

2. Name of the Newspaper/Periodicals.

3. Full Postal Address.

4. (a) Date from which newspaper/Periodical is regularly Published.

   (b) Registration Number as given by Registrar of Newspaper for India.

   (c) Date of filing the latest declaration with District Magistrate.

5. Nature of Concern i.e. Public/Private/Proprietorship etc. and names of Directors/Partners etc.

6. Quantity/Value of newsprint required for 12 months.

7. (a) Phased delivery requirement.

   (b) Name of the agent authorised.

8. Name and other Particulars of Newspapers/Periodicals owned by the applicant.

Title of the Paper	Language & Periodicity	Place of Publication	Whether getting newsprint through Government
1	2	3	4

9. Particulars of circulation etc. per publishing day for the new newspapers/Periodicals.

(a) Date of the propsed Publication.

(b) Average No. of copies proposed to be printed.

(c) Average No. of Pages.

(d) Average area of one page of newspapers/Periodicals (in Sq. cms.)

(e) No. of publishing days.

10. Particulars of newsprint (Specify Glazed/Unglazed/Nepa separately).

Item No.	Qty. in mts.	Source	Value (CIF) in Rs.

Consumed during 1981-82 Required for the year 1982-83.

11. Last Licensing year in which newsprint was taken from the OFFICE OF RNI.

12. (a) Type of Machine (i.e. Rotary/Flathod/Letter Press)

(b) Size of reels/sheets required.

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any allotment made to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation, in addition of any other penalty that the Govt. may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statements of facts therein are incorrect or false.

2. I/We declare that the newsprint, if allotted will be used in our press/premises/establishments at the above mentioned address.

3. I/We also fully understand that the allocation of canalised item(s) through the canalising agency is made under the import Trade Control Regulations and violation of the condition on which such goods are released to use of any misuse of such goods will attract the provisions of imports and Exports (Control) Act, 1947, as amended and orders issued there under.

4. I/We have noted the relevant provisions contained in the Import Policy/Hand Books of Import Export Procedures, 1981-82.

Signature ——————

Name in Block letters——————

Designation ——————

Residential Address ——————

PART—II

INCOME-TAX DECLARATION

(a) In case of persons not having taxable income

I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any Income-tax including advance tax as the Income earned by me/us during the current accounting year and last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax

(b) Income of persons having taxable Income

I/We hereby solemnly declare that.

1. I/We have furnished to the Income-Tax Department the return(s) of income due from me/us till date

2. I/We have paid all taxes including advance tax due from/me/us under the Income-Tax Act other than the tax demand which has been stayed by the Competent Authority.

3. I/We have not been penalised */convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.
I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applied in the case of Companies in which I/We am/are having substantial interest** or the firms or associations of persons in which I/We am/are Partners or members respectively.

OR

The above declaration is applicable in case of persons having substantial interest** in the applicant Company or members of the applicant association or Partner of the applicant firm.

Place— — — — —

Date — — — —

Signature — — — —

Address — — — —

Permanent A/C No. — — — —

Designation of the ITO with whom assessed

— — — —

— — — —

Assessable — — — —

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income Tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken note for the purpose of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40(A)(2) of the Income Tax Act, 1961.

FORM NP—2

STATEMENT TO BE GIVEN BY ALL APPLICANTS

1. Name of the newspaper

2. Language/Periodicity

3. Place of publication

4. Date from which the number of copies of the previous issue are being continuously published as per requirement of clause 5A of the Newsprint Control Order, 1962 (as amended by the Newsprint Control (Amendment) Order, 1962)	April 81	May 81	June 81	July 81	Aug. 81
5. Monthwise average number of pages printed per publishing day during 1981-82 (mileage) (to be worked out as per instructions given at the end of this form)	Sept. 81	Oct. 81	Nov 81	Dec. 81	
	Jan. 82	Feb. 82	March 82		
6. Consumption of newsprint obtained under the scheme of export promotion and consumed during 1981-82	Glazed (— — —gms)		Unglazed		Total

Signature of the publisher

Date

Note: The figures to be given against Col-5 should be worked out by taking the total number of pages of an issue multiplied by the total number of copies printed of that issue, which will give the information about the total number of pages printed on the relevant publishing day The total no. of pages printed on all the publishing days in a month should be added. The monthly by average should be arrived at by dividing this total by the total of number of publishing days in that month.

FORM N.P.—13

FORM OF PERFORMANCE PARTICULARS CERTIFICATE REGARDING CIRCULATION ETC. FOR THE PERIOD FROM 1-4-81 to 31-3-82

1. Name of the Newspaper/Periodical————————3. Language ————————
2. Place of Publication———————— 4. Periodicity————————

A. OTHERWISE AVERAGES — DURING THE MONTH OF

	Apr. 81	May 81	June 81	July 81	Aug. 81	Sept. 81	Oct. 81	Nov. 81	Dec. 81	Jan 82	Feb. 82	March 82	Average for the year
(a) Actual no. of publishing days month-wise.													
(b) Average no. of copies printed per publishing day.													
(c) Average no. of copies sold per publishing day.													
(d) Average no of copies distributed free per publishing day (including complementary voucher, exchange, bonus sample and office copies).													
(e) Average no. of unsold returns and other copies printed but not included in (c) & (d)													
(f) Average size of the newspaper/periodical (in sq. cm)													
(g) Average no of pages per issue													
(h) Average no of pages printed per publishing day.													
B. Total consumption of newsprint during the year (in tonnes)————													
C Total consumption of white printing paper during the year 1981-82 (in tonnes)————													

Signature of the Publisher————————
Name of the publisher————————
Date————————

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT

I/We have examined the books and account of M/s ————————————————
(name, language and periodicity of the paper) published for the year 1981-82 and have obtained all the information and explanation required by us. In my/our opinion the statement set forth above reflects true and correct analysis of circulation, page, size and number of publishing days for the year 1981-82 to the best of my/our information and belief and according to the explanation given to me/us by the books of account etc.

Dated:———————— Signature————————

Stamp of the Chartered Accountant

1. Name and signature of the person who has signed the certificate.
2. Registration No.————————
3. Address————————

Note: 1 If the average circulation for the year is more than 2,000 copies per publishing day, the certificate should be typed on the letter head of a Chartered Accountant and should be duly countersigned by him.

2 All the averages have to be given month-wise on the basis of the particulars of performance during the relevant month.

3 The figures to be given against (g) should be arrived at by adding the total number of pages of all the issues published during a month and dividing the total by the number of publishing days in that month, while the figures against (h) should be worked not like this: The no. of pages of an issue multiplied by the total number of copies printed of that issue will give the information about the total number of pages printed on the relevant publishing day. The total number of pages printed on all the publishing days in a month should be added. The monthly average should be arrived at by dividing this total by the total number of publishing days in that month

FORM N.—4

STATEMENT TO BE GIVEN BY THE PUBLISHERS OF NEW DAILY/PERIODICAL

1. Name of the Newspaper/Periodical
   (a) Name
   (b) Language
   (c) Periodicity
2. Date of filing the latest declaration.
3. Proposed date of commencement of the publication
4. Average number of copies proposed to be printed.
   (a) No. for sale
   (b) No. for free distribution.
5. Place of printing and particulars of the Press.
   (a) Particulars of the owner of the press
   Name
   Address
   (b) Printing capacity:
   Details of printing/composing machine indicating the make, model, speed per hour and present life of the machine.
6. Whether bank guarantee has been executed in the specimen form of the Scheduled bank.
7. If so, the name of the bank and value of the guarantee.
8. Whether newsprint is to be lifted through agent
9. If so, the name of the agent.
10. The term of lifting newsprint in instalments or in one lot, buffer stock/high sea sales.
11. Name of the Editor.

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place: ——————————

Date: ——————————

Signature ——————————

Name in the Block letter——————————

Designation ——————————

Residential address——————————

——————————

PROFORMA FOR BANK GUARANTEE

To

The Registrar of Newspaper for India,
(Ministry of Information & Broadcasting),
West Block 8, 2nd Floor, Wing No. 2,
R.K. Puram, New Delhi-110066.

Dear Sirs,

Whereas M/s.——————————
(hereinafter referred to as "Allottee") have applied to you for import of the under-mentioned quantity of newsprint for publication of the newspaper.

Name——————————Language——————————

Periodicity ——————————Place of publication——————————

Approx. Quantity Approx. CIF price. Rs.

And whereas as per conditions of the advance allocation for the proposed publication, Allottee is required to have a Bank Guarante for 20% of the approximate value of the newsprint quantity applied for.

Now in consideration of the above premises and at the request of the Allottee, we (Name and address of the Bank) hereby conditionally irrevocably guarantee and undertake that in the event of non-payment of sale price and/or any other default/failure on the part of Allottee to observe all or any of the conditions prescribed/to be prescribed by you, we shall on your first demand pay to you, any sum upto Rs ——————————without demur or without any reference to Allottee

Your decision that there has been a default/failure on the part of the Allottee shall be final, conclusive and binding on us

This guarantee shall not be affected by any forbearance or indulgence of any kind shown by you to the Allottee and/or by any change in the conditions prescribed by you and or in the constitution of the same and/or the Allottee

The guarantee is valid for a period of three months from the date of issue and a claim under it must be referred within six months of the date of its expiry.

Yours faithfully,

SIGNATURE OF THE AUTHORISED BANK OFFICERS

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI-110054, 1982